पुस्तक समीक्षा

सूचना का अधिकार और सुशासन, (संपादक) अजय सिंह, विजय प्रताप मल्ल, अग्रवाल पब्लिकेशन्स आगरा , ISBN 978-93-83229-68-0, 2014, पृ0 264, मूल्य रू0 18

समीक्षा के लिए प्रस्तुत पुस्तक '' सूचना का अधिकार और सुशासन'' दो ख्यातिलब्ध राजनीतिशास्त्रियों डॉ अजय सिंह व डॉ विजय प्रताप मल्ल की संपादकीय कृति है। 4 खण्ड 20 अध्याय व एक महत्वपूर्ण परिशिष्ट में विभाजित यह पुस्तक कालदर्पण के समान है जिसमें नव सहस्त्राब्दी के आरंभिक वर्षों के जनउभारों तथा जनअपेक्षाओं को शाब्दिक रूप प्राप्त हुआ है।

मुक्तिबोध की कबिता की पंक्तियां ''अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे'' से प्रारंभ यह पुस्तक विभिन्न क्षेत्रों के विचारकों, चिन्तकों शिक्षाविदों व आर टी आई कार्यकर्ताओं के गंभीर चिंतन व मनन का परिणाम है। प्रथम खण्ड 'सूचना का अधिकारः एक परिचयात्मक विवेचना में सात शोध पत्रों का संपादन किया गया है। प्रथम एवम् द्वितीय अध्याय में सूचना के अधिकार कानून का सैद्धान्तिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। जबकि अध्याय तीन, चार व पांच में भारत में सूचना के अधिकार की संकल्पना से इसके अस्तित्व उद्भव तक की गाथा है। अध्याय 6 में विश्व के विभिन्न देशों में सूचना के अधिकार कानून पर संक्षिप्त दृष्टि डालने का प्रयास किया गया है। इस खण्ड का अंतिम अध्याय इस कानून के समकालीन स्वरूप को प्रतिविम्बित करता है।

द्वितीय खण्ड 'सूचना का अधिकार एवम् राजनीतिक दल' सर्वाधिक समसामयिक व ज्वलंत मुद्देपर आधृत है। अध्याय 8 में इस अधिकार के दायरे का सुन्दर विश्लेषण करते हुए राजनीतिक दलों को स्वयं को इसके दायरे से बाहर रखने की बहानेबाजी व छल छद्म को प्रस्तुत करने की कोशिश ईमानदार प्रतीत होती है। अध्याय 9 में राजनीतिक दलों में नैतिकता का प्रश्न व अध्याय 10 में इस कानून के भारतीय राजनीति पर प्रभाव को समझने का प्रयास है।

तृतीय खण्ड ' सूचना का अधिकार और सुशासन' के छः अध्याय सूचना के अधिकार को सुशासन के हथियार व प्रारंभिक शर्त के रूप में स्वीकार करते हैं। अध्याय 11 में आर टी आई को भ्रष्टाचार के विरूद्ध हथियार के रूप में तथा 12 व 13 इसे परिस्कृत प्रजातंत्र , उत्तम शासन व जनाकांक्षा की पूर्ति के हथियार के रूप में प्रतिस्थापित किया है। अध्याय 14,15,व 16 आर टी आई को पारदर्शी शासन के पर्याय के रूप में स्वीकार करता है।

अंतिम खण्ड 'सूचना का अधिकारः उपयोगिता एवम् महत्व' में सूचना के अधिकार कानून के विविध आयामों की उपयोगिता का रेखांकन किया गया है। अध्याय 17 आर टी आई को सामाजिक व राजनीतिक दर्पण सिद्ध करने में सफल रहा है। जबकि अध्याय 19 व 20 में इस कानून के राजनीतिक महत्व को रेखांकित करने का सफलतम प्रयास किया गया है।

पुस्तक में परिशिष्ट के रूप में सम्मिलित सूचना के अधिकार के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, पुस्तक की उपयोगिता को काफी बढ़ा देती है। पुस्तक संपादन के दुरूह कार्य को सम्पन्न करने में सम्पादक द्वय सफल रहे हैं। पुस्तकीय कलेवर तथा अत्यल्प मूल्य में पुस्तक की प्रस्तुति हेतु अग्रवाल प्रकाशन आगरा, साधुवाद के पात्र हैं निःसंदेह पुस्तक पुसतकालयों के लिए संग्रहणीय ही नहीं वरन्प्रत्येक सुधिजन तक पहुंच की योग्यता धारित करती है।

डॉ सन्तोष कुमार पाण्डेय

प्रवक्ता,

स्ना0 राजनीति विज्ञान विभाग

राज कॉलेज,जौनपुर, उ0प्र0, भारत